प्लेट नहीं चेचिस का ही नंबर बदल देते थे शातिर, दबोचे गए

कानपुर। वाहन चोरों द्वारा गाड़ी चुराकर उसकी नंबर प्लेट बदलने की घटनाएं तो आपने सुनी होंगी लेकिन थाना नजीराबाद पुलिस ने ऐसे शातिर चोरों को दबोचा है जो गाड़ी की चेचिस का नंबर ही बदल देते थे और किसी दूसरी गाड़ी की आरसी का नंबर लेकर गाड़ी चलाते थे। मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर थाना नजीराबाद पुलिस द्वारा दबोचे गए अभियुक्तओ की पहचान 1- राजू कुशवाहा पुत्र स्व0 राजाराम कुशवाहा हाल पता बी–127 के0डी0ए0 कालोनी स्वर्णजयन्ती बिहार थाना विधनू कानपुर नगर मूल पता म0न0 18/49 पाँच ब्लाक बाटा चौराहे के पास गोविन्द नगर थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर उम्र 38 वर्ष

2. सौरभ शुक्ला पुत्र स्व0 राज किशोर शुक्ला निवासी वार्ड न0 8 जवाहर नगर (बर्राजपुर) थाना शिवराजपुर कानपुर नगर उम्र 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध मे थाना नजीराबाद पर मु0अ0सं0 06/2023 धारा 41 CrPC व 411/419/420/467/468/471 भादवि व मु0अ0सं0 07/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियोजन के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है।

अपराध करने का तरीका

अबतक की पूछताछ में सामने आया की अभियुक्तगणों द्वारा ओमनी वैन चोरी करके उसके चेचिस नम्बर को हटाकर दूसरी गाड़ियो के चेचिस नम्बर को उसके स्थान पर बैल्डिगं कराकर सही के रुप मे प्रयोग किया जाता था, चोरी की दो वैन जो अभियुक्तों के पास से बरामद हुई हैं वह साल 2018 में थाना बर्रा एवं कल्याणपुर क्षेत्र से चुराई गई थी। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाकर अभियुक्तों के इस करतूत के वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटा लिए हैं।

बरामदगी

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. एक अदद मारूती वैन रंग सफेद बिना नम्बर प्लेट
3. एक अदद मारूती वैन नं0 यू0पी0 78 बीके- 2132

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजू कुशवाहा -

01. मु0अ0सं0 141/2021 धारा 34/379/411/413/420/467/468/471 आईपीसी थाना जूही
02. मु0अ0सं0 184/2018 धारा 379/411 आईपीसी थाना बर्रा
03. मु0अ0सं0 209/2018 धारा 379/411 आईपीसी थाना बर्रा
04. मु0अ0सं0 213/2018 धारा 379/411 आईपीसी थाना बर्रा
05. मु0अ0सं0 219/2018 धारा 34/411/413/414/420/467/468/471 आईपीसी थाना बर्रा
06. मु0अ0सं0 548/2018 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट
07. मु0अ0सं0 06/2023 धारा 41 CrPC व 411/419/420/467/468/471 भादवि थाना नजीराबाद
08. मु0अ0सं0 07/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीराबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ शुक्ला -

01. मु0अ0सं0 06/2023 धारा 41 CrPC व 411/419/420/467/468/471 भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, उ0नि0 रविशंकर पाण्डेय, उ0नि0 मोहित सिंह, हे0का0 डीशू भारती, का0 नवीन कुमार, का0 मोहित कुमार, का0 दिनेश कुमार शामिल रहे।